न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/73/18	08–06–2018	06–08–2019

01. जीएसएस रैणी उचित मूल्य दूकानदार 1/4 ग्राम पंचायत रैणी तहसील रैणी जिला अलवर जरिये व्यवस्थापक संतोष कुमार शर्मा अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान) रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 14–03–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 15/80 प्रकरण संख्या 14/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 14–03–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 15/18 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने, एकतरफा में निरस्त किया है। तहत अदालत द्वारा दिनांक 26.2.18 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था उसका विधिवत् जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 5.3.18 को पेंश कर दिया गया था। अपीलान्ट को आगामी तारीख नहीं बताई गई तथा दिनांक 14.3.18 को प्रकरण का फैसला एकतरफा में किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे के मकान के बंगल में अपीलान्ट की चाची सीमा शर्मा का खरीदशुदा प्लॉट स्थित है, जिससे प्रवर्तन निरीक्षक हथियाना चाहता है एवं उनके द्वारा रंजिश रखता है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठे व मनगंढत रूप से जांच कार्यवाही की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 27.11.17 को जीएसएसएस रैणी पर आए उस समय अपीलान्ट मौके पर उपस्थित था वक्त निरीक्षण उनके द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज की पूर्ति कर दी गई थी। अपीलान्ट को विश्वास के चलते प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे अपीलान्ट ने हस्ताक्षर कर दिये थे जिसका दुरूपयोग करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठी जांच रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई है। अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस में कुल 6 आरोप दर्ज किये हुए है, जबकि निर्णय में बेचा रूप से कारण बताओ नोटिस से अधिक बढा चढा कर 9 आरोप दर्ज किये गये है। अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है। जिला रसद अधिकारी एवं राजस्थान सरकार के निर्देश है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, लेकर आने पर पोस मशीन से फ्रिंगर प्रिंट लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया जावें, अपीलान्ट द्वारा दिशा निर्देशों की पालना में अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं द्वारा उक्त तीनों में से किसी भी कार्ड के लाने पर नियमानुसार पोस मशीन फ्रिंगर प्रिंट लगवाकर सामग्री वितरण करता है। जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नहीं रही है। जिला रसद अधिकारी ने समस्त कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक चौबे द्वारा रंजिशवश अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कराने की नियत से तैयार की गई है। अपीलान्ट वर्ष 1980 से लगातार क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य शांतिपूर्वक करता चला आ रहा है और ना ही कोई शिकायत है। जीएसएसएस रैणी जो कि रजिस्टर्ड सोसायटी है जिसके यहॉ प्रतिदिन क्रय विक्रय बाबत कैशबुक में इन्द्राज होता है लेजर एकाउंट तैयार होता है किसी प्रकार की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अनियमितता एवं कालाबाजारी नही होती है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है। परन्तु जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट को कोई अवसर नहीं दिया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर के आलोच्य निर्णय दिनांक 14.3.18 के विरूद्व पेश की है जिस निर्णय की जानकारी होने के पश्चात् नकल हेतु आवेदन दिनांक 26.3.18 को किया गया जिस पर नकल दिनांक 9.5.18 को बनकर अपीलान्ट को प्राप्त हुई, नकल मिलने के दिन मुजरा किये जाकर अपील अन्दर मियाद अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार के विधान सभा किशनगढबास में जनसंवाद के दौरान प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल के सदस्य द्वारा दिनांक 27.11.17 को उचित मूल्य दुकानदार की जांच के उपरान्त ही कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दूकान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 0.70 क्वि गेहूँ जो कि खाघ सुरक्षा योजना के पत्र उपभोक्ताओं ने वितरण किया जाना था एवं 101 लीटर नीला केरोसीन का पॉश मशीन के माध्यम से फर्जी वितरण कर गबन किया, एवं 8.78 क्वि. गेहूँ स्टॉक से अधिक मिला तथा 284 लीटर नीला केरोसीन तेल आवंटन से अधिक वितरण किया गया, 37.100 किग्रा. चीनी आवंटन से अधिक वितरित की गई है। उपभोक्ताओं के बयान राशन कार्ड मौका फर्द सामुहिक बयान एवं व्यक्तिगत बयानों में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व उचित कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस रैणी ने जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानो राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2015 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त की धारा 8,12,15,17 सी एवं एन.एफ.एस.ए. 2013 के प्रावधानो का उल्लधंन किया गया है के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। गठित जांच दल के सदस्य द्वारा जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें। अपने कथन की पुष्टी में फर्द सूची के साथ शपथ पत्र पेश किये गये।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। तहत अदालत द्वारा दिनांक 26.2.18 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था उसका विधिवत् जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 5.3.18 को पेंश कर दिया गया था। अपीलान्ट को आगामी तारीख नहीं बताई गई तथा दिनांक 14.3.18 को प्रकरण का फैसला एकतरफा में किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे के मकान के बंगल में अपीलान्ट की चाची सीमा शर्मा का खरीदशुदा प्लॉट स्थित है, जिससे प्रवर्तन निरीक्षक हथियाना चाहता है एवं उनके द्वारा रंजिश रखता है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठे व मनगंढत रूप से जांच कार्यवाही की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 27.11.17 को जीएसएसएस रैणी पर आए उस समय अपीलान्ट मौके पर उपस्थित था वक्त निरीक्षण उनके द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज की पूर्ति कर दी गई थी। अपीलान्ट को विश्वास के चलते प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे अपीलान्ट ने हस्ताक्षर कर दिये थे जिसका दुरूपयोग करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठी जांच रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस में कुल 6 आरोप दर्ज किये हुए है, जबकि निर्णय में बेचा रूप से कारण बताओ नोटिस से अधिक बढा चढा कर 9 आरोप दर्ज किये गये है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार के विधान सभा किशनगढबास में जनसंवाद के दौरान प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल के सदस्य द्वारा दिनांक 27.11.17 को उचित मूल्य दुकानदार की जांच के उपरान्त ही कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दूकान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 0.70 क्वि गेहूँ जो कि खाघ सुरक्षा योजना के पत्र उपभोक्ताओं ने वितरण किया जाना था एवं 101 लीटर नीला केरोसीन का पॉश मशीन के माध्यम से फर्जी वितरण कर गबन किया, एवं 8.78 क्वि. गेहूँ स्टॉक से अधिक मिला तथा 284 लीटर नीला केरोसीन तेल आवंटन से अधिक वितरण किया गया, 37.100 किग्रा. चीनी आवंटन से अधिक वितरित की गई है। उपभोक्ताओं के बयान राशन कार्ड मौका फर्द सामुहिक बयान एवं व्यक्तिगत बयानों में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व उचित कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस रैणी ने जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानो राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2015 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त की धारा 8,12,15,17 सी एवं एन.एफ.एस.ए. 2013 के प्रावधानो का उल्लधंन किया गया है के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त में ऐसा नही है, कि अपीलान्ट उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में अनियमितता करना में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.05.17 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **06–08–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर